भारतीय रिज़र्व बैंक

संख्यात्मक रूप में और कौशल सेट के संदर्भ में शून्य आधारित बजट प्रावधान के आधार पर पर्यवेक्षण विभाग के कार्यबल मूल्यांकन लिए सलाहकार की नियुक्ति हेतु

ई-निविदा

RBI/CentralOffice/DBS/1/21-22/ET/168

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई
दिनांक 23 सितंबर, 2021

निविदा की अनुसूची (एसओटी)

निविदा संख्या	RBI/CentralOffice/DBS/1/21-22/ET/168
निविदा का माध्यम	ई-निविदा https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi के माध्यम से भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - मूल्य बोली ऑनलाइन जमा करना इच्छुक बोलीदाताओं को केवल उपरोक्त ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से अपना प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना आवश्यक है। कोई भौतिक तकनीकी/मूल्य बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
पार्टियों को एनआईटी और ई-निविदा आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होने की तिथि	**23 सितंबर, 2021**
संविदा का अनुमानित वार्षिक मूल्य	-
ऑनलाइन बोली पूर्व बैठक की तिथि	वेंडर निविदा के संबंध में अपने प्रश्न 30 सितंबर, 2021 तक मेल tagmpe@rbi.org.in पर प्रस्तुत कर सकते हैं
बयाना जमा राशि – सफल बोलीदाता को ईएमडी राशि NEFT के रूप में जमा करनी होगी कृपया ध्यान दें: - **कार्य प्रदान करने के बाद सफल बोलीदाता से ईएमडी**	राशि: रु.1,00,000/- ईएमडी राशि का भुगतान NEFT के माध्यम से किया जा सकता है। A/c. No – 41869229908

राशि स्वीकार की जाएगी।	IFSC Code: RBIS0COD001 (5th, 9th and 10th characters are ZERO). A/c. Name: Reserve Bank of India
तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए निविदा आरंभ होने की तिथि	**1200 hrs,** 23 सितम्बर 2021
तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए निविदा बंद करने की तिथि।	**1200 hrs,** 18 अक्तूबर, 2021
भाग-**I (**अर्थात तकनीकी बोली) खोलने की तिथि और समय	**1600 hrs,** 18 अक्तूबर, 2021
भाग-**II** वित्तीय बोली: भाग **II** खोलने की तिथि	भाग II - वित्तीय बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं के लिए खोली जाएगी जिनकी भाग I - तकनीकी बोली डीओएस, आरबीआई, मुंबई द्वारा स्वीकार्य की गई है। वित्तीय बोली खोलने की तिथि तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को अलग से सूचित की जाएगी

विषय सूची	पृष्ठ संख्या
(i) **खंड I- एनआईटी और ई निविदा हेतु अनुदेश**	5
1. परिचय	13
1.1 गोपनीयता	13
1.2 कार्यबल मूल्यांकन योजना	13
2. पात्रता मानदंड	15
3. आरएफपी का सारांश	15
3.1	8
3.2 अस्वीकरण	16
4 सलाहकारों को दिशानिर्देश	18
4.1 परियोजना और डिलिवरेबल्स का व्यापक दायरा	18
4.2 भुगतान/दण्ड की शर्तें	20
4.3 संघ/कंसोर्टियम	20
4.4 प्रमुख पेशेवर और प्रमुख पेशेवरों के अपेक्षित इनपुट	21
4.5 बोलियों की तैयारी	21
4.6 बोलियों का मूल्यांकन	26
4.7 अप्रत्याशित घटना	28
4.8 ठेका प्रदान करना	29
4.9 विवाद समाधान	30
4.10 कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं	31
4.11 गैर-कानूनन	31
4.12 डिलिवरेबल्स का स्वामित्व	32
4.13 यौन उत्पीड़न	32
परिशिष्ट	
अनुबंध ए: प्रपोजल प्रस्तुत करने का पत्र	33
अनुबंध बी: सलाहकार का संगठन	35
अनुबंध सी: विदेश में सलाहकार का अनुभव	36
अनुबंध डी: असाइनमेंट निष्पादित करने के लिए दृष्टिकोण, कार्यपद्धति और कार्य योजना का विवरण	37
अनुबंध ई: टीम संरचना और कार्य असाइनमेंट	38
अनुबंध एफ: प्रस्तावित पेशेवर कर्मचारियों का शैक्षिक अभिलेख और कार्य अनुभव	39
अनुबंध जी: स्व-शपथ पत्र/घोषणा का फॉर्मेट	41
अनुबंध एचः वित्तीय बोली	42
अनुबंध एच1: दंडों का ब्योरा	43
अनुबंध जेः राजस्व और लाभ के आंकडे	43

खंड I - निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)
भारतीय रिज़र्व बैंक

संख्या और कौशल सेट के संदर्भ में शून्य-आधारित बजट आधार पर पर्यवेक्षण विभाग के कार्यबल मूल्यांकन के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित सूचना।

पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई (बाद में "बैंक" कहा गया है) **संख्या और कौशल सेट के संदर्भ में शून्य-आधारित बजट प्रावधान के आधार पर पर्यवेक्षण विभाग के कार्यबल मूल्यांकन के लिए सलाहकार की नियुक्ति** के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। पात्र पार्टियां अर्थात कंपनी/फर्म/एजेंसी से आवेदन पत्र बैंक की वेबसाइट लिंक से "निविदा" खंड https://www.rbi.org.in/scripts/BS_ViewTenders.aspx या एमएसटीसी पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi से डाउनलोड किए जा सकते हैं। .

आवश्यक संलग्नकों के साथ निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुए आवेदन, **18 अक्टूबर, 2021** को दोपहर **12.00 बजे तक** https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। पात्र निविदाकर्ता पूर्ण आवेदन निर्धारित समय और तिथि से पहले एमएसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करना सुनिश्चित करें क्योंकि निविदाएं निर्धारित समय और तिथि के बाद स्वीकार नहीं की जाएंगी। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तकनीकी बोलियां 18 अक्टूबर 2021 को शाम 4:00 बजे ऑनलाइन खोली जाएंगी। ऊपर बताई गई किसी भी तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए माना जाएगा।

निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.rbi.org.in या एमएसटीसी पोर्टल से उपर्युक्त के अनुसार डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के संबंध में कोई संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण इन वेबसाइटों पर ही अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए उपर्युक्त वेबसाइटों को नियमित रूप से देखें।

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई

खंड - I: ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण अनुदेश

यह पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई का एक ई-खरीद प्रक्रिया है। ई-खरीद सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि अपनी ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना और उसके बाद के शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ और समझ लें।

ई-निविदा की प्रक्रियाः

ए) पंजीकरणः इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-खरीद पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, वेंडर अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। इंटरनेट पर तकनीकी बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। वेंडर के पास श्रेणी III हस्ताक्षर का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। वेंडर को एक इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होती है। MSTC/DoS, RBI, मुंबई ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (बोली डिजिटल हस्ताक्षर के बिना दर्ज नहीं की जाएगी)।

विशेष ध्यान: तकनीकी बोली और वित्तीय बोली केवल https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi/buyer_login.jsp पर ऑनलाइन जमा करनी होंगी।

1) वेंडरों को खुद कों ऑनलाइन www.mstcecommerce.com → e-procurement → PSU / Govt. Depts→ RBI पर पंजीकृत करना है। विवरण भरकर और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर वेंडर के रूप में पंजीकरण करें → सबमिट करें।
2) वेंडरों को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी / डीओएस, आरबीआई, मुंबई से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):
एचओ सहायता डेस्क नं. 03340602403, 03340067351, 03340628253, 03340645316, 03340645207, 03340609118
श्री मनोज पांडेय, एएम-9727700986, 0265-2960354, 0265-2960379, 0265-2960385, mpandey@mstcindia.co.in, mstcvda@mstcindia.co.in

श्री अमर कुमार जोशी, एएम-9601839390, 0265-2960354, 0265-2960379, 0265-2960385, janarendrakumar@mstcindia.co.in, mstcvda@mstcindia.co.in

सिस्टम से संबंधित आवश्यकताएं

i) विंडोज 7 और इसके बाद के संस्करण ऑपरेटिंग सिस्टम
ii) IE-9 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र।
iii) साइनिंग टाइप डिजिटल हस्ताक्षर
iv) जेआरई 8 अपडेट और उससे ऊपर के सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना। (फाइल का नाम- विंडोज X86 ऑफलाइन)

डीएससी के हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रदर्शित होने के लिए "संरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए निम्नलिखित सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं:

• टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सुरक्षा => सक्षम होने पर संरक्षित मोड को अक्षम करें- यानी, "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करते हुए टिक बॉक्स से टिक हटा दें।

अन्य सेटिंग:

• टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग हिस्टरी / ब्राउज़िंग हिस्टरी हटाएं" के अंतर्गत सेटिंग्स पर क्लिक करें => अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => "एवरी टाइम आई विजिट दि बेवपेज" सक्रिय करें।

1. सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने और टूल्स → इंटरनेट विकल्प → कस्टम स्तर के तहत 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (**कृपया एक बार www.mstcecommerce.com पृष्ठ से आईई सेटिंग्स रन करें**)
   अधिक जानकारी के लिए, वेंडर www.mstcecommerce.com/eprochome पर उपलब्ध **वेंडर गाइड, वीडियो गाइड** और **अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों** का संदर्भ ले सकता है।

2. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। निविदाएं निविदा में दिए गए निर्धारित तिथि एवं समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

3. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय/मूल्य प्रारूप में दर्ज की जानी चाहिए।

4. लेनदेन शुल्क के लिए विशेष ध्यान:

वेंडर लॉगिन में "माई मेन्यू" के अंतर्गत "लेन-देन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेगा। वेंडरों को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। वेंडर के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर,वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। चालान पर छपे ब्यौरे के अनुसार वेंडर लेन-देन शुल्क की राशि में बदलाव किए बिना जमा कर देगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर,वेंडर को अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और वेंडर को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

लेनदेन शुल्क वापस करने योग्य नहीं है।

लेन-देन शुल्क का भुगतान किए बिना एक वेंडर को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से काफी पहले लेनदेन शुल्क जमा कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय दिया जा सके।

5. अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्र की सूचना निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के दौरान ही ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए वेंडरों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आई.डी. बशर्ते एमएसटीसी के साथ वेंडर के पंजीकरण के समय वैध और अपडेट की गई हो। वेंडरों से भी अनुरोध है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।

6. एनआईटी (निविदा आमंत्रित करने की सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

7. ई-निविदा में बोली लगाना:

ए) बोलीदाताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करने की आवश्यकता है। लेनदेन शुल्क वापस करने योग्य नहीं है। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल वेंडर (वेंडरों) की ईएमडी निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी।

बी) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय/मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

सी) वेंडर (जिनों) ने लेनदेन शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट पर इंटरनेट के माध्यम से www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू / सरकारी विभाग → आरबीआई के तहत लॉगिन करें → माई मैन्यू → ऑक्शन फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन करें में अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा कर सकते हैं।

डी) वेंडर को जावा एप्लिकेशन रन करने की अनुमति देनी चाहिए। यह अभ्यास बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद करना है। फिर उन्हें कॉमन टर्म्स/कमर्शियल स्पेसिफिकेशन भरना होगा और उसे सेव करना होगा। इसके बाद टेक्निकल बिड पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चल रहा है, तो वेंडर तकनीकी बोली को सेव/सबमिट नहीं कर पाएगा।

ई) तकनीकी बोली भरने के बाद, वेंडर को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वित्तीय बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर वेंडर को अपनी वित्तीय बोली दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। एक बार तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों सेव होने के बाद, वेंडर अपनी बोली दर्ज करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

एफ) वेंडरों को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए अटैच डॉक बटन का उपयोग करें। एकाधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।

जी) सभी मामलों में, वेंडर को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

एच) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, वेंडर एक दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए भी पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

आई) ई-निविदा मंजिल पूर्व-घोषित तिथि और समय से और ऊपर बताई गई अवधि के लिए खुली रहेगी।

जे) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां वेंडर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस वेंडर द्वारा प्रस्तावित वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए क्रेता और वेंडर के बीच एक बाध्यकारी संविदा होगी।
के) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एल) खरीदार के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।
एम) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी वेंडर द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियम और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है।

8. इस निविदा के परिणामस्वरूप होने वाला कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

9. तकनीकी और वित्तीय नियमों और शर्तों के विचलन की अनुमति नहीं है।
10. निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली (बोलियों) की प्राप्ति की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।

11. वेंडरों से अनुरोध है कि वे वेंडर मार्गदर्शिका पढ़ें और बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए www.mstcecommerce.com/eprochome पेज पर वीडियो देखें।

1. परिचय

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद बैं.वि. अधिनियम के रूप में उल्लिखित) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम 1959 के विभिन्न प्रावधानों के तहत भारत में बैंकों[1] के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरबीआई के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार में बैंक, शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), एनबीएफसी, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, क्रेडिट सूचना कंपनियाँ और कतिपय अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान शामिल हैं। आरबीआई इन पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की वित्तीय सुदृढ़ता, शोधन क्षमता, आस्ति गुणवत्ता, शासकीय ढांचे, चलनिधि और परिचालन क्षमता का आकलन करने के उद्देश्य से पर्यवेक्षण करता है, ताकि जमाकर्ताओं के हितों और वित्तीय स्थिरता की रक्षा की जा सके। आरबीआई के सांविधिक निरीक्षण का मूल उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि जिन शर्तों के अधीन पर्यवेक्षित संस्था को अपना कारोबार करने के लिए अधिकृत किया गया था और इसके अनुक्रम में आरबीआई द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, उनका पालन पर्यवेक्षित संस्था द्वारा किया जा रहा है। आरबीआई, ऑन-साइट निरीक्षण और ऑफ-साइट निगरानी की सहायता से एसई (प.सं.) का निरंतर पर्यवेक्षण करता है।

1.2 कार्यबल मूल्यांकन योजना

संगठनात्मक कार्यबल योजना अभ्यास के भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक (विभाग) के पर्यवेक्षण विभाग में आंतरिक कार्यबल योजना का अभ्यास, आमतौर पर वृद्धिक्रम के आधार पर किया जाता था। हालांकि, समय के साथ, विभाग की जिम्मेदारियों के साथ-साथ विभाग से विभिन्न हितधारकों की अपेक्षाएं, मौजूदा कार्यों (जैसे- विस्तृत विश्लेषण और बाजार आसूचना, साइबर सुरक्षा, आदि) की बढ़ी हुई व्याप्ति, नई पर्यवेक्षित संस्थाओं (जैसे लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और क्रेडिट सूचना कंपनियां, आदि) की बढ़ोतरी, पर्यवेक्षण की आवश्यकता वाले नए क्षेत्रों (जैसे- फिनटेक फर्म, साइबर धोखाधड़ी, आदि) के कारण कई गुना बढ़ गए हैं। आरबीआई के विनियमन और पर्यवेक्षण के दायरे में अभी और कई एसई के शामिल होने की संभावना है, जिससे आरबीआई की जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ी हैं। विभाग को, 2019 में सभी पर्यवेक्षी विभागों का विलय करके एकीकृत किया गया था, जिसका उद्देश्य, इस क्षेत्र में बढ़ते आकार, अंतर्संबंध और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित बढ़ती जटिलताओं को दूर करने के लिए पर्यवेक्षण के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करना और पर्यवेक्षी मध्यस्थता और सूचना विषमता के कारण

[1] शब्द बैंक का आशय, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 5(सी) में परिभाषित बैंकिंग कंपनी, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 2(जी) में परिभाषित भारतीय स्टेट बैंक ; भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 2(के) में परिभाषित सहायक बैंक और क्रमशः 1970 और 1980 के अधिनियमों की धारा 2(डी) और 2(बी) में परिभाषित नए बैंक से है।

संभावित प्रणालीगत जोखिमों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटना था। इन सभी परिवर्तनों के कारण यह आवश्यक हो गया है कि तेजी से बदलते पर्यवेक्षी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विभाग के संशोधित/बढ़े हुए अधिदेश और इसके पर्यवेक्षी कार्यों की व्यापक व्याप्ति के संदर्भ में विभागीय कार्यबल-आवश्यकताओं का निरपेक्ष मूल्यांकन किया जाए। यथार्थवादी और जमीनी मूल्यांकन के लिए, तकनीकी और प्रतिस्पर्धी दोनों मोर्चे पर कार्यबल में आवश्यक सुधारों से संबंधित दृष्टिकोण हेतु वैश्विक पर्यवेक्षकों के समकक्ष इसके मानकीकरण की आवश्यकता होगी।

1.3 जिस तरह की संकल्पना की गई है, उसके कार्यान्वयन लिए एक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तृतीय-पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), बाहरी पेशेवर/ वैश्विक ख्याति के सलाहकार को नियोजित करना चाहता है जिसे ऐसे अन्य बड़े केंद्रीय बैंकों/ विनियामकों/ पर्यवेक्षकों के लिए इस तरह मूल्यांकन करने में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

1.4 सलाहकार हेतु उद्देश्य और कार्य का दायरा

कार्य का व्यापक दायरा निम्नानुसार होगा:

(i) विभाग के अधिदेश, जॉब कार्ड में उल्लिखित कार्य-विवरण, आरबीआई से हितधारकों की अपेक्षाओं और वैश्विक पर्यवेक्षकों के समकक्ष मानकीकरण के अनुसार संख्यात्मक रूप में और कौशल सेट के संदर्भ में कार्यबल का जमीनी मूल्यांकन। यह मूल्यांकन भविष्योन्मुखी होना चाहिए ताकि आरबीआई के पर्यवेक्षी कार्य से संबंधित दस वर्षों में सभी संभावित चुनौतियों और/या कार्य के अतिरिक्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ii) मौजूदा जॉब कार्डों में संशोधन/जोड़/उन्नयन और जहां कहीं भी योग्यता/कौशल-वार ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है, वहां जॉब कार्ड बनाना।

(iii) कार्यबल की आवश्यकताओं के संबंध में विसंगति को दूर के विभिन्न तरीकों पर, तत्काल, लघु, मध्यम और दीर्घकालिक आधार पर, इस मामले में वैश्विक अनुभव के अनुसार सुझाव देना।

(iv) प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के पर्यवेक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम मानव संसाधन प्रथाओं के स्तर की दक्षताओं/कौशल सेटों के विकास हेतु प्रक्रिया का मानकीकरण।

2 पात्रता मानदंड

• आवेदक अंतरराष्ट्रीय ख्याति की एक पेशेवर सलाहकार फर्म होना चाहिए।

• आवेदक फर्म के पास प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नियामकों/पर्यवेक्षकों/वित्तीय संस्थानों सहित जनशक्ति मूल्यांकन की परियोजनाओं को संभालने में प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए।

• आवेदक फर्म के पास ऊपर बताए गए अनुसार जनशक्ति आकलन वाली परियोजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन और निष्पादन का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

• इस प्रकार की परियोजना को संभालने के लिए आवेदक फर्म के पास पर्याप्त रूप से योग्य/अनुभवी संसाधन होने चाहिए।

• आवेदक फर्म को अधिकतम 16 सप्ताह की समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने का वचन देना होगा, ऐसा न करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को 14 दिनों का नोटिस देकर फर्म की सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार होगा।

• आवेदक फर्म को आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार समयबद्ध तरीके से परियोजना के पूरा होने की गारंटी देनी चाहिए।

• आवेदक फर्म को अन्य असाइनमेंट/नौकरियों या अपने स्वयं के कॉर्पोरेट हितों के साथ टकराव नहीं होना चाहिए और भविष्य के काम के लिए विचार किए बिना कार्य करना चाहिए।

यदि आवेदक फर्म को विवर्जित/काली सूची में डाला गया हो या पूर्व में किसी क्षेत्राधिकार द्वारा कोई जुर्माना लगाया गया हो, तो उसके संबंध में विवरण **अनुबंध एच1** में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए।

3. आरएफपी का सारांश

यह रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे इसके बाद "आरबीआई"/"बैंक" कहा गया है) चयनित फर्मों से संख्या और कौशल सेट के संदर्भ में शून्य-आधारित बजट प्रावधान के आधार पर पर्यवेक्षण विभाग का कार्यबल मूल्यांकन के लिए प्रपोजल आमंत्रित करने के लिए है :

आवश्यक संलग्नकों के साथ निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुए आवेदन, **18 अक्टूबर, 2021** को दोपहर **12.00 बजे तक** https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। पात्र निविदाकर्ता पूर्ण आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय और तिथि से पहले एमएसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन के रूप में निविदाएं निर्धारित समय और तिथि के बाद स्वीकार नहीं की जाएंगी। बोली दस्तावेज में वांछित जानकारी को पूर्ण रूप से प्रदान करने की आवश्यकता है। अधूरी

जानकारी के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है। आरएफपी के संबंध में प्रश्नों और स्पष्टीकरणों के लिए, कृपया *tagmpe@rbi.org.in* पर ईमेल करें।

बोलियों को प्रस्तुत करने और मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख सांकेतिक तारीखें निम्नानुसार हैं:

किसी भी स्पष्टीकरण का अनुरोध करने की अंतिम तारीख	30 सितंबर, 2021
सलाहकारों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों का जवाब देने के लिए आरबीआई के लिए अंतिम तारीख	04 अक्तूबर, 2021
बोलियों की स्वीकृति का प्रारंभ	23 सितंबर, 2021
आरबीआई में बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख और समय	18 अक्तूबर, 2021 (दोपहर 12 बजे)
तकनीकी बोलियां खोलने की तारीख और समय	18 अक्तूबर, 2021 (4.00 PM बजे)
सलाहकारों द्वारा प्रस्तुति	20 अक्तूबर, 2021

आरबीआई आरएफपी में उल्लिखित तिथियों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रकाशित होती है और https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर उपलब्ध है। यदि तारीखों को स्थगित करने की आवश्यकता होती है, तो बोलीदाताओं को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

3.2 अस्वीकरण

(i) कृपया ध्यान दें कि यह दस्तावेज़ **केवल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल(आरएफपी) है कोई प्रपोजल नहीं**। कानून में या अन्यथा अपने अधिकारों को सीमित किए बिना, आरबीआई किसी भी आरएफपी प्रतिक्रिया को स्वीकार या अस्वीकार करने, आरएफपी और संबंधित प्रक्रियाओं को बदलने या बंद करने के संबंध में, अपने पूर्ण विवेक से, हर समय अधिकार सुरक्षित रखता है। आरबीआई इस खंड के तहत किए गए किसी भी निर्णय के लिए कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा और इसका निर्णय अंतिम होगा और इस आरएफपी के सभी प्रतिक्रिया देने वालों के लिए बाध्यकारी होगा।

(ii) यह बैंक का प्रपोजल नहीं है बल्कि बैंक द्वारा शुरू की गई चयन प्रक्रिया में बोली लगाने का आमंत्रण है। आरएफपी प्रक्रिया से कोई भी ठेका संबंधी दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि बैंक और बोली लगाने वाले के विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा औपचारिक ठेका निष्पादित नहीं किया जाता है।

(iii) ईओआई प्रक्रिया से चयनित आवेदकों से तकनीकी और वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने की दृष्टि से यह आरएफपी जारी की गई है। इस संबंध में आरबीआई का निर्णय अंतिम होगा। यह ध्यान दिया जाए कि जॉब कार्ड में उल्लिखित कार्य विवरण, हितधारकों की अपेक्षाएं और योग्यता के अनुसार कौशल सेट ब्रेकअप मालिकाना और गोपनीय है, और इसे बोली लगाने वालों द्वारा किसी भी रूप में इस असाइनमेंट से जुड़े किसी भी व्यक्ति / पार्टी को साझा नहीं किया जा सकता है।

(iv) सलाहकार मुंबई में आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ निकट समन्वय में काम करेगा। इसके अलावा, सलाहकारों की रिपोर्ट/सिफारिशें अनुसंधान (क्रॉस कंट्री अनुभवों सहित) पर आधारित होनी चाहिए और प्रासंगिक डेटा द्वारा समर्थित होनी चाहिए।
(v) आरएफपी दस्तावेज के सभी पृष्ठों को फर्म की तारीख और मुहर के साथ एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा क्रमांकित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
(vi) यदि इस दस्तावेज़ में मांगी गई कोई जानकारी गुम या अस्पष्ट है या आवेदक द्वारा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो यह माना जाएगा कि फर्म जानकारी प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।
(vii) सलाहकार अपनी बोली को तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा।
(viii) अंतिम असाइनमेंट के लिए शुल्क भारतीय रुपये में देय होगा।
(ix) इस गतिविधि से संबंधित सभी मामले भारत संघ के कानूनों द्वारा शासित होंगे। मुंबई के न्यायालयों के पास किसी भी मामले, जो भी उत्पन्न हो, पर निर्णय लेने या न्यायनिर्णय लेने का अधिकार होगा।
(x) आरबीआई को यह अपेक्षित है कि चयनित आवेदक पेशेवर, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष सलाह प्रदान करें और हर समय आरबीआई के हित को सर्वोपरि रखें, अन्य असाइनमेंट / नौकरियों या अपने स्वयं के कॉर्पोरेट हितों के साथ टकराव से सख्ती से बचें और भविष्य के काम पर विचार किए बिना कार्य करें। सलाहकार वास्तविक या संभावित विवाद की किसी भी स्थिति का खुलासा करने के लिए बाध्य होगा जो आरबीआई के सर्वोत्तम हित के प्रति सेवा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है, या जिसे उचित रूप से इस प्रभाव के रूप में माना जा सकता है।
(xi) सलाहकार से आरएफपी में सभी अनुदेशों, फॉर्मेट्स, शर्तों और विशेषताओं की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। आरएफपी द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता या आरएफपी के लिए हर तरह से पर्याप्त रूप से प्रतिक्रियात्मक बोली प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

4. सलाहकारों को दिशानिर्देश

4.1 परियोजना और डिलिवरेबल्स का व्यापक दायरा

तेजी से बदलते पर्यवेक्षी परिदृश्य को देखते हुए बैंक अपने संशोधित/बढ़े हुए अधिदेश और अपने पर्यवेक्षी कार्यों की व्याप्ति के संदर्भ में विभाग की कार्यबल-आवश्यकताओं का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना चाहता है।

इस संबंध में, सलाहकार आरबीआई के परामर्श से न्यूनतम निम्नलिखित कार्य करेगा:

क्रम सं.	कार्य	विवरण	डिलिवरेबल्स
(i)	प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के	सलाहकार को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में स्थित केंद्रीय	पहचानी गई विसंगति को उजागर करती हुई विस्तृत विसंगति मूल्यांकन

क्रम सं.	कार्य	विवरण	डिलिवरेबल्स
	पर्यवेक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम मानव संसाधन प्रथाओं के स्तर की दक्षताओं/ कौशल सेटों के विकास के लिए प्रक्रिया का मानकीकरण।	बैंकों/पर्यवेक्षकों/विनियामकों द्वारा अपनाई जाने वाली वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता होगी।	रिपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सिफारिश प्रस्तुत करना।
(ii)	कार्य का विवरण और कौशल सेट/योग्यतावार ब्रेक अप के साथ अपग्रेड किए गए जॉब कार्ड।	सलाहकार को वर्तमान कार्य प्रवाह और/या जॉब कार्ड, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं, बढ़ा हुआ अधिदेश, हितधारकों की अपेक्षा और अगले दस वर्षों में पर्यवेक्षण में संभावित चुनौतियों को शामिल करते हुए नौकरी की आवश्यकताओं का अध्ययन और समझने की आवश्यकता होगी। उन्हें अपने मूल्यांकन को कौशल सेट/योग्यता वार ब्रेक अप के साथ जॉब कार्ड में बदलने की आवश्यकता होगी।	मौजूदा जॉब कार्डों में संशोधन, जोड़, उन्नयन और जहां कहीं भी योग्यता/ कौशल-वार ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है, वहां जॉब कार्ड का निर्माण।
(iii)	संख्यात्मक रूप में और कौशल सेट के संदर्भ में कार्यबल का जमीनी मूल्यांकन।	सलाहकार, जॉब कार्ड को अंतिम रूप देने के बाद, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं, बढ़े हुए अधिदेश, हितधारकों की अपेक्षा और अगले दस वर्षों में पर्यवेक्षण में संभावित चुनौतियों को शामिल करते हुए, आवश्यक कार्यबल का आँकड़ा प्रस्तुत करेंगे।	सलाहकार, संख्यात्मक रूप में और विभिन्न स्थितियों जैसे- (क) मौजूदा परिदृश्य के अनुसार, (ख) विभिन्न स्थितियों जैसे-लघु, मध्यम और दीर्घकालिक, आदि अनुमानों के अनुसार दक्षताओं/कौशल सेटों के रूप में कार्यबल का स्पष्ट मूल्यांकन प्रदान करेगा।
(iv)	कार्यान्वयन के लिए रणनीतियों के साथ-साथ	सलाहकार, वैश्विक अनुभव के आधार पर, तत्काल, लघु, मध्यम और दीर्घकालिक आधार पर कार्यबल	परिकल्पित अंतर को भरने के तरीकों पर, विशिष्ट समय सीमा और रणनीतियों के साथ सिफारिश/सुझाव

क्रम सं.	कार्य	विवरण	डिलिवरेबल्स
	विसंगतियों को दूर करने के उपाय।	आवश्यकताओं के संबंध में अंतर को भरने के विभिन्न उपायों की सिफारिश करेगा।	देंगे।

4.1.1 असाइनमेंट के लिए तैनात किए जा रहे प्रमुख कर्मियों को अतीत में इस तरह का अनुभव होना चाहिए और अपेक्षित डोमेन विशेषज्ञता होनी चाहिए।

4.1.2 सलाहकार को 16 सप्ताह की दी गई समय सीमा के भीतर पूरी परियोजना को पूरा करना होगा, ऐसा न करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक 14 दिनों का नोटिस देकर फर्म की सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सलाहकार फर्म को आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार समयबद्ध तरीके से परियोजना के पूरा करने की गारंटी देने की स्थिति में होना चाहिए।

4.1.3 सलाहकार को एक प्राधिकार पत्र देना होगा, जिसमें आवेदक की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को अधिकृत किया जाएगा और जहां कहीं भी आवश्यक हो, गोपनीयता के समझौते पर हस्ताक्षर करने की बाध्यता अपेक्षित होगी।

4.2 भुगतान/दंड की शर्तें

(i) सलाहकार को भुगतान भारतीय रुपये में दो किस्तों में किया जाएगा, जिसमें निर्धारित समय सीमा के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक की संतुष्टि के लिए सभी गतिविधियों को पूरा किया जाएगा। सलाहकार यह ध्यान दे कि इस आरएफपी के तहत कार्यों की संविदा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के साथ होगी। सलाहकार को भुगतान संविदा में शामिल सहमत भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।

(ii) सलाहकार को मौजूदा कानूनों के अनुसार भुगतान किए गए करों सहित भुगतान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी।

4.3 संघ/कंसोर्टियम

सलाहकारों के संघ/कंसोर्टियम या एसोसिएशन की स्थापना और आउटसोर्सिंग या सब-कॉन्ट्रैक्टिंग की अनुमति नहीं है। हालांकि, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, यदि परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, तो आरबीआई अपने विवेक से सलाहकार को सीमित सीमा तक बाहरी विशेषज्ञों/तृतीय पक्षों के साथ जुड़ने की अनुमति दे सकता है।

4.4 प्रमुख पेशेवर और प्रमुख कार्मिक के अपेक्षित इनपुट

सलाहकार को परियोजना के लिए तैनात प्रत्येक प्रमुख कर्मियों द्वारा निर्वहन की जाने वाली संबंधित जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होगी। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों के क्षेत्र में प्रमुख कर्मियों के अनुभव का विवरण परिशिष्ट में दिए गए अनुलग्नक ई और एफ के अनुसार संक्षेप में प्रदान किया जाए।

4.5 बोलियों की तैयारी

4.5.1 बोलियों की भाषा

आरबीआई के साथ बोली और सभी प्रासंगिक पत्राचार अंग्रेजी में होंगे। अपनी बोली तैयार करने में, सलाहकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे आरएफपी वाले दस्तावेजों की बारीकी से जांच करें और उसमें वांछित सभी जानकारी प्रस्तुत करें। मांगी गई जानकारी प्रदान करने में यदि महत्वपूर्ण कमियां पाई जाती हैं, तो बोली को सीधे तौर पर अस्वीकार किया जा सकता है।

4.5.2 बोली का फॉर्मेट और हस्ताक्षर

(i) सलाहकार को अपनी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज शामिल करने होंगे:

- तकनीकी बोली
- वित्तीय बोली
- बयाना जमा राशि (ईएमडी)

4.5.3 बोली में शामिल दस्तावेज

आरएफपी से संबंधित प्रतिक्रिया में पात्रता का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

ए) तकनीकी बोली

तकनीकी बोली सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए और आरएफपी दस्तावेज में मांगी गई सभी जानकारी शामिल होनी चाहिए। इसमें कीमत की कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। किसी भी कीमत की जानकारी वाली तकनीकी बोली को अनरिस्पोंसिव घोषित किया जाएगा और खारिज कर दिया जाएगा।

तकनीकी बोली वाले दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

(i) चरण-वार दृष्टिकोण और डिलिवरेबल्स का उल्लेख करती हुई फर्म की विस्तृत बोली।

(ii) शामिल होने के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय कर्मियों की सूची (पूर्णकालिक, अंशकालिक, सलाहकार या अन्यथा)।

(iii) विवरण परिशिष्ट में दिए गए अनुबंध ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, एच1 और जे के अनुसार दिया जाना चाहिए।

(iv) कोई भी तकनीकी बोली जिसमें उपर्युक्त शामिल नहीं है, अस्वीकृति का पात्र होगी।

बी) वित्तीय बोली

(i) वित्तीय बोली परिशिष्ट में दिए गए **अनुबंध एच** के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी। वित्तीय बोली, बोली की वैधता अवधि की समाप्ति तक फर्म पर बाध्यकारी होनी चाहिए।

(ii) वित्तीय बोली में वित्तीय उद्धरण होना चाहिए जिसमें असाइनमेंट की कुल कीमत/लागत का उल्लेख हो और इसमें सलाहकार के सभी जेब खर्च शामिल हों। सलाहकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले जीएसटी और किसी भी अन्य कर/सांविधिक शुल्क और बैंक से दावा अलग से दिखाना होगा है। प्रासंगिक कीमत की जानकारी और दरें केवल भारतीय रुपए में उद्धृत की जानी चाहिए। वित्तीय बोली किसी भी तरह से तकनीकी बोली का खंडन/योग्यता नहीं होगी। किसी भी परिवर्तन वाली वित्तीय बोलियों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

सी) बयाना जमा राशि (ईएमडी)

बोली जमा करने के समय एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रुपए 100,000/(एक लाख रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा (ईएमडी) का भुगतान किया जाएगा। एनईएफटी अंतरण के लिए खाता विवरण निम्नानुसार है:

A/c. No – 41869229908

IFSC Code: RBIS0COD001 (5th, 9th and 10th characters are ZERO).

A/c. Name: Reserve Bank of India

ईएमडी के रूप में जमा राशि पर आरबीआई द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। सलाहकार को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख से एक माह के भीतर असफल बोली लगाने वालों को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। संविदा पर हस्ताक्षर करने और आरबीआई की संतुष्टि के लिए काम पूरा करने के लिए सलाहकार द्वारा एक कार्यनिष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने पर ईएमडी को सफल सलाहकार को वापस कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा:

(i) यदि बोली वैधता अवधि या उसके सलाहकार द्वारा सहमत किसी विस्तार के दौरान वापस ली जाती है; या

(ii) यदि बोली को खोलने के बाद बोली में आरबीआई को अस्वीकार्य बदलाव या संशोधन किया गया है, लेकिन वैधता अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान; या
(iii) यदि सलाहकार मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करता है; या
(iv) बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख के बाद सलाहकार द्वारा बोली वापस लेना; या
(v) एक सफल सलाहकार के रूप में एक सलाहकार की घोषणा पर संविदा को निष्पादित करने में विफलता और/या इस आरएफपी के संदर्भ में कार्यनिष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफलता।

उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि सफल सलाहकार संविदा को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो सलाहकार को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा बोली में भाग लेने से **3** वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

4.5.4 बोली प्रस्तुत करना

आवश्यक संलग्नकों के साथ निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुए आवेदन, **18 अक्टूबर, 2021** को दोपहर **12.00 बजे तक** https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए।
जमा करने की समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.5.5 बोली की लागत

सलाहकार अपनी बोली तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी स्थिति में इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे बोली प्रक्रिया का संचालन या परिणाम कुछ भी हो।

4.5.6 सरकारी विनियमन

सलाहकार, अपनी लागत पर, सभी लाइसेंस और प्राधिकार प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा, जिसमें निर्यात लाइसेंस और परमिट और अन्य सरकारी प्राधिकार या प्रमाणीकरण बिना किसी प्रतिबंध या योग्यता के लिए जरूरी है, ताकि सलाहकार संविदा के तहत अपने सभी दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो सके।

4.5.7 स्पष्टीकरण

इस आरएफपी से संबंधित प्रश्न, यदि कोई हों, को ई-मेल - tagmpe@rbi.org.in पर भेजे जा सकता है। प्रश्नों का उत्तर ई-मेल के माध्यम से दिया जाएगा। टेलीफोन पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी प्रश्नों को केवल निर्दिष्ट तिथि तक ही स्वीकार किया जाएगा।

4.5.8 आरएफपी में संशोधन

नियत तारीख से पहले किसी भी समय, आरएफपी आरबीआई द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, की सीमा तक संशोधित होगा। यह संशोधन किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे वह स्वयं की पहल पर हो या किसी आवेदक द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के जवाब में हो। आरएफपी में संशोधन की विधिवत सूचना फर्मों को दी जाएगी ।

4.5.9 बोली की कीमतें

(i) बोली लगाने से पहले, सलाहकार सेवाओं की आपूर्ति के लिए अपनी बोली की शुद्धता और पर्याप्तता और आपूर्ति के उचित निष्पादन और पूरा करने के लिए आवश्यक सभी मामलों और बातों के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा, भले ही ऐसे मामलों या बातों का बोली में विशेष रूप से वर्णन किया गया हो।

(ii) सलाहकार किसी भी अनुबंध दस्तावेज़ में या उसके बीच किसी भी समय पायी जाने वाली किसी भी अस्पष्टता, विसंगति, संघर्ष, असंगति या चूक के बारे में आरबीआई को लिखित रूप में सूचित करेगा। यदि सलाहकार को किसी अनुबंध दस्तावेज़ में कोई अस्पष्टता, विसंगति, टकराव, असंगति या चूक का पता चलता है, तो सलाहकार ऊपर बतायी गई समय सीमा के भीतर आरबीआई को इसके बारे में सूचित करेगा और उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगेगा।

(iii) सलाहकार को अपनी स्वतंत्र टिप्पणियों और आवश्यक सेवाओं की प्रकृति, सीमा और व्यावहारिकता और अन्य सभी मामलों से पूरी तरह परिचित होना चाहिए जो किसी भी तरह से उसकी बोली मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोली मूल्य में सभी सेवाओं के कार्यनिष्पादन को शामिल माना जाएगा, भले ही ऐसी मदों और / या सेवाओं को बोली में विशेष रूप से सूचीबद्ध किया गया हो या कीमत दी गई हो।

4.5.10 कीमत पर रोक

अंतिम रूप दी गई कीमत संविदा की अवधि के लिए कार्यान्वयन के अंत तक वैध रहेगी। हालांकि, आरबीआई सलाहकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले उच्च या कम जीएसटी या अन्य करों का भुगतान करेगा और सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वित्तीय बोली में विशेष रूप से संकेत देगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक सलाहकार की आय पर किसी भी कर की प्रतिपूर्ति नहीं करेगा और वित्तीय बोली में दिखाए गए करों की प्रतिपूर्ति इस तरह के भुगतान, जहां भी ऐसा आवश्यक पाया जाता है, करने के लिए सलाहकार की देयता के बारे में आरबीआई की संतुष्टि के अधीन होगी।

4.5.11 बोलियों की वैधता की अवधि

बोलियां वित्तीय बोली के खुलने की नियत तारीख से 60 दिनों (साठ दिनों) की अवधि के लिए वैध होंगी।

4.5.12 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर, 2021 (दोपहर 12.00 बजे) है, जिसे https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन जमा किया जाना है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 18 अक्टूबर, 2021 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त आरएफपी दस्तावेज (तकनीकी बोलियां) 18 अक्टूबर, 2021 को शाम 04.00 बजे आरबीआई, डब्ल्यूटीसी, तीसरी मंजिल, कफ परेड, मुंबई में खोली जाएंगी। महामारी की स्थिति के कारण सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बाहरी लोगों की भौतिक उपस्थिति से बचा जा रहा है। वर्चुअल मोड के माध्यम से बोली खोलने की प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक सलाहकार निम्नलिखित ईमेल आईडी - tagmpe@rbi.org.in पर 18 अक्टूबर, 2021 को दोपहर 12 बजे से पहले अनुरोध भेज सकते हैं।

4.5.13 देर से प्राप्त होने वाली बोली

नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। समय को, आरबीआई और सलाहकार के बीच होने वाली संविदा का महत्वपूर्ण घटक माना जाएगा और किसी भी परिस्थिति में समय सीमा के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरबीआई द्वारा बताई गई समय सीमा में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर संपूर्ण कार्य को पूरा करना होगा और सलाहकार को इसका सख्ती से पालन करना होगा।

4.5.14 बोलियों में संशोधन करना और वापस लेना

अपनी बोली जमा करने के बाद आवेदक उसमें संशोधन कर सकता है या उसे वापस ले सकता है, बशर्ते कि संशोधन या वापसी की लिखित सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को नियत तारीख से पहले प्राप्त हो। नियत तारीख के बाद आवेदक द्वारा किसी संशोधन या वापसी को अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.5.15 प्रमुख कार्मिकों का प्रतिस्थापन

भारतीय रिज़र्व बैंक आम तौर पर प्रमुख कर्मियों के प्रतिस्थापन के लिए चयनित सलाहकार के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा क्योंकि सलाहकार की रैंकिंग प्रमुख कर्मियों के मूल्यांकन पर आधारित होती है और इसमें कोई भी बदलाव रैंकिंग को अमान्य कर सकता है। तथापि, प्रतिस्थापन की अनुमति दी जा सकती है यदि प्रमुख कार्मिक किसी अक्षमता के कारण या स्वास्थ्य के कारण उपलब्ध नहीं हैं, बशर्ते कि समान या बेहतर योग्य और अनुभवी कर्मियों को भारतीय रिज़र्व बैंक की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराया जा रहा हो अन्यथा इससे सलाहकार अपात्र हो सकता है या अनुबंध समाप्त हो सकता है। प्रमुख कर्मियों का प्रतिस्थापन आरबीआई के विवेक पर और पूर्व अनुमोदन के साथ होगा।

4.6 बोली मूल्यांकन

आरबीआई ने एक तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) का गठन किया है जिसमें बोलियों के मूल्यांकन और प्रक्रिया की निगरानी के लिए बैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

4.6.1 सामान्य शर्तें

बोलियां खोले जाने से लेकर ठेका दिए जाने तक, सलाहकारों को तकनीकी और/या वित्तीय बोली से संबंधित किसी भी मामले पर भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क नहीं करना होगा। सलाहकारों द्वारा परीक्षा, मूल्यांकन, बोलियों की रैंकिंग और ठेका प्रदान करने की सिफारिश में आरबीआई को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप सलाहकार की बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

4.6.2 सलाहकारों द्वारा प्रस्तुतीकरण

चयनित आवेदकों को निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। आवेदकों की प्रस्तुती उस पद्धति और प्रक्रिया को उजागर करने वाली बोली को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत कर सकती है जिसे आवेदक द्वारा उल्लिखित कार्य के लिए अपनाया जाएगा। परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए आवेदक फर्म के दृष्टिकोण को भी निर्दिष्ट करना चाहिए।

4.6.3 बोली मूल्यांकन वेटेज

तकनीकी बोली में 70% का वेटेज होगा जबकि वित्तीय बोलियों में 30% का वेटेज होगा।

4.6.4 तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन

तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन करते समय टीएजी के पास तकनीकी मूल्यांकन समाप्त होने तक वित्तीय बोलियों तक कोई पहुंच नहीं होगी, और सक्षम प्राधिकारी इसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं करता है। टीएजी नीचे दिए गए मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर कार्य के उद्देश्य और दायरे के प्रति उनकी प्रतिक्रियात्मकता के आधार पर तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन के पहले चरण में, प्रपोजल की प्रतिक्रियात्मकता के लिए "बोलियों को तैयार करना" खंड में उल्लिखित आवश्यकताओं की तुलना में अपूर्ण पाए जाने पर बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। केवल प्रतिक्रियात्मक बोलियों को ही मूल्यांकन के लिए आगे लिया जाएगा। तकनीकी बोली के लिए मूल्यांकन मानदंड नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	मापदंड	अंक
1	कार्यबल मूल्यांकन (सफलतापूर्वक संभाली गई परियोजनाओं की संख्या के आधार पर) पर प्रासंगिक अनुभव (जैसा कि पैरा 2 में उल्लेख किया गया है, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनुभव)।	30%
2	कार्यबल के मूल्यांकन के लिए शून्य आधारित बजट प्रावधान पद्धति से संबंधित पिछली परियोजनाएं	20%
3	परियोजना के लिए तैनात किए जाने वाले प्रस्तावित प्रमुख पेशेवरों की संख्या।	25%

क्र.सं.	मापदंड	अंक
4	परियोजना के लिए तैनात प्रमुख पेशेवरों की पेशेवर/शैक्षिक योग्यता/विशेषज्ञता।	25%
	कुल योग	**100%**

तकनीकी बोलियों को स्कोर करने के लिए आरबीआई सामान्यीकरण पद्धति का उपयोग करेगा। तकनीकी बोली में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले सलाहकार को बोली के तकनीकी मूल्यांकन में 100% अंक प्राप्त होते हैं। तकनीकी मूल्यांकन में अन्य सलाहकारों के अंकों का प्रतिशत उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले सलाहकार को दिए गए अंकों के प्रतिशत के अनुपात के आधार पर तय किया जाएगा। उदाहरण के लिए: यदि सलाहकार ए को तकनीकी मूल्यांकन में 60 अंक मिलते हैं, जो तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया में उच्चतम अंक है, तो सलाहकार ए को तकनीकी मूल्यांकन में 100% अंक दिए जाएंगे। यदि सलाहकार बी को तकनीकी मूल्यांकन में 54 अंक मिलते हैं, तो तकनीकी मूल्यांकन में उसका स्कोर 100∗54/60=90 प्रतिशत अंक होगा।

केवल वे सलाहकार जो टीएजी द्वारा निर्धारित तकनीकी मूल्यांकन मानदंड पर 45% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें वित्तीय मूल्यांकन के लिए तकनीकी रूप से योग्य माना जाएगा। वित्तीय मूल्यांकन के लिए 45% से कम तकनीकी अंकों वाले सलाहकारों की वित्तीय बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आरबीआई आरएफपी के लिए प्राप्त किसी भी या सभी प्रतिक्रियाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.6.5 वित्तीय बोलियों को सार्वजनिक रूप से खोलना और उनका मूल्यांकन

सबसे पहले, तकनीकी बोलियों को खोला जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी और उनका मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी बोलियों की समीक्षा और अंतिम रूप देने के बाद, वित्तीय बोलियां लगाने वाले/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। वर्चुअल मोड के माध्यम से बोली खोलने की प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक सलाहकार निम्नलिखित ईमेल आईडी - tagmpe@rbi.org.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

4.6.5 समग्र मूल्यांकन

समग्र स्कोर की गणना पूर्व-निर्धारित अनुपात में सलाहकारों द्वारा प्राप्त तकनीकी और वित्तीय अंकों के वेटेज औसत के रूप में की जाएगी, जैसा कि पैराग्राफ **4.6.3** में दर्शाया गया है।

4.7 अप्रत्याशित घटना

(i) बोली के प्रावधानों के बावजूद, बोली लगाने वाला चूक के लिए परिनिर्धारित क्षति या समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि और उस सीमा तक, जिसके प्रदर्शन में देरी या निविदा के तहत दायित्वों को पूरा करने में अन्य विफलता, जो अप्रत्याशित घटना का परिणाम है।

(ii) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ बोली लगाने वाले के नियंत्रण से परे एक घटना है और इसमें बोली लगाने वाले की लापरवाही की गलती शामिल नहीं है और न ही पूर्वाभासी हो सकता है। इस तरह की घटनाओं में जैसे-युद्ध, या क्रांति, आग, बाढ़, महामारी, विलगीकरण और माल ढुलाई प्रतिबंध, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, शामिल हो सकते हैं।

(iii) यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो बोली लगाने वाला ऐसी शर्तों और उसके कारणों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को तुरंत सूचित करेगा। जब तक अन्यथा आरबीआई द्वारा लिखित रूप में निर्देशित नहीं किया जाता है, बोली लगाने वाली संविदा के तहत अपने दायित्वों को जहां तक समझदारी के साथ व्यावहारिक रूप से निष्पादित करना जारी रखेगा और अप्रत्याशित घटना से रोके नहीं जाने वाले कार्यनिष्पादन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की तलाश करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, बोली लगाने वाले को कम से कम 21 दिनों की लिखित सूचना देकर, संविदा को, यदि अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप, बोली लगाने वाला 75 दिनों से अधिक की अवधि के लिए संविदा के एक महत्वपूर्ण हिस्से को निष्पादित करने में असमर्थ है, समाप्त कर सकता है।

4.8 ठेका प्रदान करना

समग्र मूल्यांकन के आधार पर, असाइनमेंट सफल बोली लगाने वाले को प्रदान किया जाएगा।

4.8.1 गोपनीयता

(i) सलाहकार इस उद्देश्य के लिए साझा की गई जानकारी/डेटा की सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और इसका उपयोग कहीं और नहीं किया जाएगा। साथ ही, सलाहकार फर्म एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगी कि इस असाइनमेंट के उद्देश्य के लिए आरबीआई से प्राप्त पूरी जानकारी/डेटा को परियोजना के पूरा होने के तुरंत बाद हमेशा के लिए हटा दिया गया/नष्ट कर दिया गया है या आरबीआई को वापस कर दिया गया है। ऐसा करने में विफल होने के परिणामस्वरूप ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। आरबीआई द्वारा अनुरोध किए जाने पर सलाहकार द्वारा इस आशय का एक वचन-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(ii) बोलियों के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी और ठेका दिए जाने से संबंधित सिफारिशों का खुलासा बोली लगाने वालों या अन्य व्यक्तियों को नहीं किया जाएगा जो आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया से संबंधित नहीं हैं, जब तक कि ठेके के दिए जाने का प्रकाशन नहीं हो जाता। किसी भी बोली लगाने वाले द्वारा प्रक्रिया से संबंधित गोपनीय जानकारी के अनुचित/अनुचित उपयोग के परिणामस्वरूप उसकी बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

(iii) सलाहकार, जहां भी आवश्यक हो, गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत करेगा

4.8.2 संविदा पर हस्ताक्षर

बोली प्रक्रिया के पूरा होने और ठेका प्रदान करने पर, सफल बोली लगाने वाले को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर, इस आशय के एक संविदा पर हस्ताक्षर करना होगा, जहां संविदा दस्तावेज़ में नियम और शर्तें निर्दिष्ट होंगी। एक बार सभी आवश्यक अनुमोदन लिए जाने के बाद, आरबीआई सफल सलाहकार को सूचित करेगा और संविदा को निष्पादन के लिए भेजेगा। 15 दिनों की अवधि के भीतर, सफल सलाहकार आरबीआई के साथ संविदा निष्पादित करेगा।

4.8.3 भारतीय रिज़र्व बैंक में सलाहकार के लिए प्रस्तावित मूलभूत सुविधाएं:

(i) आरबीआई चयनित सलाहकार को असाइनमेंट के दौरान कार्यालय स्थान और आवश्यक अन्य उचित सहायता के संदर्भ में आवश्यक जरूरतों को उपलब्ध कराएगा। आरबीआई के परिसर में रहने वाले व्यक्तियों को आरबीआई के नियमों और विनियमों के अनुसार निर्देशित किया जाना चाहिए।
(ii) आम तौर पर पहुंच सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी तक ही सीमित होगी। गोपनीय जानकारी को साझा करना, यदि आवश्यक हो, आरबीआई के विवेकाधिकार पर होगा और मामला दर मामला आधार पर तय किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परियोजना के संबंध में सलाहकार द्वारा अपेक्षित अन्य सूचना/डेटा उपलब्ध कराने में भी सहायता करने का प्रयास करेगा। हालांकि, परियोजना के पूरा होने में देरी/उत्पादन की खराब गुणवत्ता को किसी भी मामले में आरबीआई की ओर से अपेक्षित स्वामित्व/पर्यवेक्षी जानकारी/डेटा की अनुपलब्धता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।.

4.8.4 क्षतिपूरण

(i) सलाहकार, करार के प्रावधानों के अधीन, सेवाओं में किसी कमी के कारण होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष नुकसान या क्षति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को, करार के मूल्य के 1.5 गुनी तक की ही राशि की क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।
(ii) सलाहकार, अपनी लागत और खर्च पर भारत में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों या उसके किसी हिस्से के उपयोग से पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सिक्रेट या औद्योगिक डिजाइन अधिकारों सहित बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन सहित तीसरे पक्ष के सभी दावों के प्रति बैंक का बचाव और क्षतिपूर्ति करेगा।
(iii) सलाहकार ऐसे किसी भी दावे को शीघ्रता से निपटाएगा और उसे वहां से अपना बचाव करने का पूरा अधिकार होगा। यदि बैंक को इस तरह के उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी तीसरे पक्ष को मुआवजे का

भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो सलाहकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जिसमें सभी खर्च और अदालत और कानूनी शुल्क शामिल हैं।
(iv) सलाहकार, किसी भी या सभी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों, मानदंडों, मानकों, प्रक्रियाओं, आदि के सलाहकार द्वारा उल्लंघन के कारण बैंक को होने वाली सभी हानियों/क्षति के खिलाफ, अपनी लागत और खर्च पर, बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

4.9 विवाद समाधान

सलाहकारी प्रस्तावों से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद और किसी भी प्रकार के मतभेद, किसी भी पक्ष (बैंक या सलाहकार) द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित में 30 दिनों के नोटिस जारी करने के बाद, स्पष्ट रूप से विवाद की प्रकृति का उल्लेख करते हुए भेजा जाएगा। इस संविदा के नियमों और शर्तों के तहत मतभेद, एकल मध्यस्थता, दोनों पक्षों को स्वीकार्य, मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने और विवाद/मतभेदों के निपटारे के लिए और सख्ती से, बैंक और सलाहकार के बीच निष्पादित किया जाएगा। मध्यस्थता उचित भारतीय कानूनों के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। अधिनिर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान मुंबई, भारत में होगा। मध्यस्थता की लागत पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी। केवल मुंबई के अदालतों को संविदा से उत्पन्न होने वाले मामलों पर निर्णय लेने का विशेष अधिकार होगा।

4.10 कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं

सलाहकार या उसकी कोई भी होल्डिंग/सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी/समूह/ग्राहक कंपनियां या उनका कोई भी कर्मचारी/अधिकारी/स्टाफ/कार्मिक/प्रतिनिधि/एजेंट किसी भी परिस्थिति में बैंक या उसके किसी कर्मचारी/अधिकारी/स्टाफ/प्रतिनिधियों/कार्मिकों/एजेंटों के साथ नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं माना जाएगा। सलाहकार यह वचन देगा कि परियोजना के लिए उनके द्वारा की गई कर्मचारियों की नियुक्ति भारत में लागू श्रम कानूनों के पूर्ण अनुपालन में होगी और इस संबंध में सलाहकार द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी के लिए आरबीआई जिम्मेदार नहीं होगा।

4.11 गैर-कानूनन

संविदा की अवधि के दौरान और उसके बाद दो साल की अवधि के लिए, बैंक की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सलाहकार: ए) भर्ती, किराए पर, नियुक्ति या शामिल नहीं करेगा या भर्ती करने, किराए पर, संविदा के तहत सेवाएं प्रदान करने में बैंक द्वारा कर्मचारी या सहयोगी या किसी भी क्षमता में लगे किसी भी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करने या संलग्न करने या चर्चा करने या अन्यथा उपयोग करने का प्रयास नहीं करेगा; या बी) किसी ऐसे व्यक्ति को बैंक के साथ अपने संबंध को समाप्त करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा जो किसी भी समय बैंक का कर्मचारी या सहयोगी रहा हो।

4.12 डिलिवरेबल्स का स्वामित्व

इस परियोजना से प्रत्यक्ष उत्पाद के रूप में या इस परियोजना के गौण-उत्पाद के रूप में उत्पन्न सामग्री, दस्तावेज, मैनुअल, टेम्प्लेट और अन्य संबंधित वस्तु आरबीआई की एकल संपत्ति होगी। वेंडर भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, कहीं और आरबीआई के स्वामित्व वाली सामग्री का उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है। बोली लगाने वाले सलाहकार द्वारा कोई भी प्रचार जिसमें बैंक के नाम का उपयोग किया जाना है, बैंक की स्पष्ट लिखित अनुमति के साथ ही होगा।

4.13 यौन उत्पीड़न

सलाहकार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, सलाहकार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और सलाहकार शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सलाहकार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

सलाहकार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसका भुगतान करना जरूरी होगा यदि घटना में सलाहकार के कर्मचारी शामिल हैं, उदाहरण के लिए, बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि सलाहकार के कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न साबित होता है।

सलाहकार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

सलाहकार बैंक के परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।

परिशिष्ट

अनुबंध एः प्रपोजल प्रस्तुत करने के लिए पत्र

प्रेषकः

सेवा में
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबईः 400005

विषय: रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल - पर्यवेक्षी मॉडल की समीक्षा के लिए सलाहकार

महोदय,

हम, अधोहस्ताक्षरी, आपके **23 सितंबर, 2021** के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) के अनुसार, **"पर्यवेक्षण विभाग के कार्यबल मूल्यांकन के लिए"** हमारी सलाहकार सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करते हैं। हम इसके द्वारा अपनी बोली एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर जमा कर रहे हैं, जिसमें यह तकनीकी बोली और वित्तीय बोली शामिल है । जबकि अपेक्षित ईएमडी एनईएफटी के माध्यम से जमा कर दी गई है।

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि इस बोली में दी गई सभी जानकारी और कथन सत्य हैं और स्वीकार करते हैं कि इसमें निहित कोई भी गलत बयानी हमारी अयोग्यता का कारण बन सकती है। यदि बोली की वैधता की अवधि के दौरान वार्तालाप होता है, तो हम प्रस्तावित कर्मचारियों के आधार पर बातचीत करने का वचन देते हैं। हमारी बोली हमारे लिए बाध्यकारी है और अनुबंध वार्ताओं के परिणामस्वरूप संशोधनों के अधीन है।

हम जानते हैं कि आरएफपी की शर्तें हम पर बाध्यकारी हैं और आरबीआई इसे प्राप्त होने वाले किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि आरबीआई आरएफपी के लिए प्राप्त किसी भी या सभी प्रतिक्रियाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सादर,
(अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम:

संलग्नक:

आवेदक की मुहर:

प्रस्तुत करने की तारीख: _____

अनुबंध बी: सलाहकार का संगठन

[कृपया अपनी फर्म/संस्था की पृष्ठभूमि और संगठन का संक्षिप्त विवरण दें। संक्षिप्त विवरण में स्वामित्व विवरण, फर्म के निगमन की तारीख और स्थान, फर्म के उद्देश्य आदि शामिल होने चाहिए। फर्म के मुख्य कारोबार, कारोबार के वर्ष, तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं की जानकारी भी यहां शामिल की जानी चाहिए]

अनुबंध सी: विदेश में सलाहकार का अनुभव

कृपया पिछले पांच वर्षों में फर्म द्वारा शुरू किए गए ग्राहकों/परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें (कृपया उन असाइनमेंट की सूची बनाएं जो प्रस्तावित आरबीआई असाइनमेंट के समान प्रकृति की हैं)। जानकारी प्रदान करने के लिए नीचे दिए गए प्रारूप का उपयोग करें जिसके लिए सलाहकार को कानूनी रूप से सलाहकार कार्य करने के लिए ठेका दिया गया था। यदि प्रासंगिक हो तो आप एक ही ग्राहक के अंतर्गत एक से अधिक असाइनमेंट का उल्लेख कर सकते हैं (प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग शीट का उपयोग करें)।

प्रासंगिक अनुभव

1	**ग्राहक का नाम और संपर्क सूचना**
	• नाम: • शीर्षक: • संस्था: • पता*: • दूरभाष: • ई-मेल:
2	**सलाहकार नेतृत्व**
	• <सलाहकार का व्यक्ति जिसने परियोजना का नेतृत्व किया>
3	**परियोजना का स्वरूप**
	•
4	**परियोजना के डिलिवरेबल्स उत्पाद**
	•
5	**परियोजना की तारीख और अवधि**
6	**अनुमानित परियोजना मूल्य**

*निविदा की स्वीकृति/अन्य पत्राचार की सूचना निविदा प्रतिक्रिया में सलाहकार द्वारा दिए गए पते पर लिखित रूप में दी जाएगी। इसलिए सलाहकार के पते में कोई भी परिवर्तन तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

अनुबंध डी: असाइनमेंट निष्पादित करने के लिए दृष्टिकोण, कार्यपद्धति और कार्य योजना का विवरण

तकनीकी दृष्टिकोण, कार्यपद्धति और कार्य योजना तकनीकी बोली के प्रमुख घटक हैं। कंसल्टेंसी फर्म को अपनी तकनीकी बोली को निम्नलिखित खंडों में विभाजित करने का सुझाव दिया जाता है:

क) तकनीकी दृष्टिकोण और कार्यपद्धति

ख) कार्य योजना

घ) संगठन और स्टाफिंग

घ) अन्य

इसके अतिरिक्त, सलाहकार को डेटा आवश्यकताओं, सेवाओं और अन्य आधारभूत सुविधाओं के बारे में एक संक्षिप्त नोट भी देना चाहिए जो वह आरबीआई से प्राप्त होने की उम्मीद करता है।

अनुबंध ई: टीम संरचना और असाइनमेंट कार्य

कृपया नीचे दी गई तालिका को पूरा करें, जिसमें परियोजना के लिए निर्धारित किए गए प्रत्येक टीम के सदस्य का नाम, उनके क्षेत्र/विशेषज्ञता, निर्धारित किए गए पद और इस परियोजना के लिए उनके संबंधित कार्य शामिल हैं:

टीम के सदस्य का नाम	विशेषज्ञता का क्षेत्र	सौंपा गया पद	सौंपा गया कार्य

अनुबंध एफ: प्रस्तावित पेशेवर कर्मचारियों का शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव.

1. **प्रस्तावित पद** [*नीचे उल्लिखित भूमिकाएं*[2]]_____

2. **फर्म का नाम** [*स्टाफ को प्रस्तावित करने वाली फर्म का नाम*]: _____

_____

3. **स्टाफ का नाम** [*पूरा नाम*]: _____

4. **जन्म तिथि**: _____**राष्ट्रीयता**: _____

5. **शिक्षा** [*कॉलेज/विश्वविद्यालय और स्टाफ सदस्य की अन्य विशिष्ट शिक्षा, संस्थानों के नाम, प्राप्त डिग्री और प्राप्त करने की तारीखें बताएं*] : _____

_____

6. **पेशेवर एसोसिएशन की सदस्यता**: _____

_____

7. **अन्य प्रशिक्षण** [*मद 5 में उल्लिखित डिग्री-शिक्षा प्राप्त करने के बाद से महत्वपूर्ण प्रशिक्षण का उल्लेख करें*]:_____

_____

8. **अंतर्राष्ट्रीय कार्य अनुभव:** [*विदेशी पर्यवेक्षी प्राधिकरणों की सूची जहां कर्मचारियों ने पिछले दस वर्षों में काम किया है*]:_____

_____

9. **भाषाएं** [*प्रत्येक भाषा के लिए प्रवीणता का उल्लेख: बोलने, पढ़ने और लिखने में अच्छा, संतोषजनक, या खराब के रूप में करें*] :_____

---

[2] **भूमिकांए**

1. परियोजना निदेशक: समग्र वितरण के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ सलाहकार।
2. परियोजना प्रबंधक: दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों, वितरण और कार्य-योजना का प्रबंधन करने के लिए पूर्णकालिक परियोजना प्रबंधक।
3. वर्किंग टीम सदस्य: दिन-प्रतिदिन डिलीवरी के लिए परियोजना प्रबंधक के साथ काम करने वाले फुल टाइम वर्किंग टीम के सदस्य।
4. विशेषज्ञ पैनल: विशिष्ट विषयों/क्षेत्रों के लिए परियोजना के दौरान आवश्यकतानुसार वरिष्ठ लोगों को आमंत्रित किया जा सकता है।

10. रोजगार रिकॉर्ड [*वर्तमान स्थिति से शुरू करते हुए, स्नातक के बाद से स्टाफ सदस्य द्वारा धारित प्रत्येक रोजगार को उल्टे क्रम में सूचीबद्ध करें, प्रत्येक रोजगार के लिए (नीचे प्रारूप देखें): रोजगार की तारीखें, नियोक्ता संगठन का नाम, संभाले गए पद का उल्लेख करना है।*]:

_____

से [वर्ष]: _____तक[वर्ष]: _____

नियोक्ता: _____

संभाले गए पद: _____

11. सौंपे गए कार्यों का विवरण	**12. किया गया कार्य जो सौंपे गए कार्यों को संभालने की क्षमता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है**
[*इस असाइनमेंट के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों की सूची बनाएं*]	[*जिन कार्यों में कर्मचारी शामिल रहा है, उन कार्यों के लिए निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख करें जो मद 11 के तहत सूचीबद्ध कार्यों को संभालने के लिए कर्मचारियों की क्षमता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती हैं।*] असाइनमेंट या प्रोजेक्ट का नाम:_____ वर्ष:_____ स्थान:_____ ग्राहक:_____ परियोजना की मुख्य विशेषताएं:_____ सभाले गए पद:_____ निष्पादित गतिविधियां:_____

प्रमाणन:

मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार, यह सीवी मेरा, मेरी योग्यता और मेरे अनुभव का सही वर्णन करता है। मैं समझता/समझती हूं कि यहां जान-बूझकर प्रस्तुत किए गए मिथ्य कथन मेरी अयोग्यता या बर्खास्तगी का कारण बन सकते हैं, यदि मैं नियुक्त किया गया हूं।

_____तारीख:_____

[*स्टाफ सदस्य या स्टाफ के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर*] *दिन/महीना/वर्ष*

अधिकृत प्रतिनिधि का पूरा नाम:_____

अनुबंध जी: स्व-शपथ पत्र/घोषणा का फॉर्मेट

[केवल फर्म/कंपनी के लेटर हेड में प्रस्तुत किया जाना है]

हम, मैसर्स _____, **"पर्यवेक्षण विभाग के कार्यबल मूल्यांकन"** के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए बोली लगाने वालों में से एक हैं।

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म/कंपनी का कोई आर्थिक देयताएं नहीं है और न ही कोई न्यायिक कार्यवाही या सलाहकार सेवाओं को पूरा करने से हमें रोकने वाला कोई प्रतिबंध है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक को पता चलता है कि हमारे कथन झूठें और गलत हैं, तो भारतीय रिज़र्व बैंक हमारे खिलाफ, जैसा उचित समझा जाए, आवश्यक कार्रवाई शुरू कर सकता है, ।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी देश से भ्रष्ट आचरण के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(सील)

अनुबंध एच: वित्तीय बोली

प्रेषक:
सेवा में
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

विषय: वित्तीय बोली - पर्यवेक्षण विभाग का कार्यबल मूल्यांकन

महोदय,

हम, अधोहस्ताक्षरी, आपके दिनांक **23 सितंबर, 2021** के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और हमारी तकनीकी बोली के अनुसार **"पर्यवेक्षण विभाग के कार्यबल मूल्यांकन"** के लिए हमारी सलाहकार सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करते हैं। हमारी संलग्न वित्तीय बोली_____ (रुपये _____ केवल) की राशि के लिए है। यह राशि भारतीय रुपये में है जिसमें घरेलु कर और अन्य व्यय शामिल है। हम, इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि वित्तीय बोली शर्त रहित है और हम स्वीकार करते हैं कि वित्तीय बोली से जुड़ी कोई भी शर्त हमारी वित्तीय बोली को अस्वीकार कर देगी।

बोली की वैधता अवधि की समाप्ति तक, संविदा वार्ताओं के परिणामस्वरूप होने वाले संशोधनों के अधीन हमारी वित्तीय बोली हम पर बाध्यकारी होगी। हम समझते हैं कि आपको प्राप्त होने वाले किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं।

सादर,
अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

संलग्नक:
आवेदक की मुहर:
प्रस्तुत करने की तारीख: _____

अनुबंध एच1

अन्य क्षेत्राधिकारों में लगाए गए दंड (दंडों) का विवरण / प्रतिबंध - सभी उदाहरण

क्र.स.	उस पर्यवेक्षक/ प्राधिकरण का नाम और पता जिसने दंड लगाया या फर्म पर रोक लगाया	दंड की मात्रा	रोक की अवधि	दंड/रोक के कारण	क्या जवाबदेही आंतरिक रूप से तय की गई है - नाम, यदि कोई हो	आरंभ की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो	टिप्पणी

अनुबंध जे

प्रस्तुती की तारीखः

फर्म के राजस्व और लाभ के आंकड़े

(कृपया आंकड़ों को भारतीय रुपयों/यूएसडी में प्रस्तुत किया जाए)

सारणी 1: भारत में सलाहकारी गतिविधियों से राजस्व

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	कुल राजस्व (रु)	भारत में सलाहकारी सेवाओं से राजस्व (रु)	एचआर कंसल्टेंसी से राजस्व (रु)	करों के बाद लाभ (रु)	कुल राशि
1	2018-19					
2	2019-20					
3	2020-21					

सारणी 1: वैश्विक सलाहकारी गतिविधियों से राजस्व

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	कुल राजस्व (रु)	सलाहकारी सेवाओं से राजस्व (रु)	एचआर कंसल्टेंसी से राजस्व (रु)	करों के बाद लाभ (रु)	कुल राशि
1	2018-19					
2	2019-20					
3	2020-21					

क) कृपया विनिमय दर (तारीख के साथ) प्रदान करें यदि अन्य मुद्रा से रूपांतरण के लिए उपयोग किया जाता है, तो

ख) कृपया पिछले 3 वित्तीय वर्षों से संबंधित सलाहकारी और तुलन पत्र से आय दर्शाने वाले ऑडिटेड राजस्व खातों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

ग) दस्तावेजों में आवेदक या जेवी के भागीदार की वित्तीय स्थिति को दर्शाया जाना चाहिए न कि सहायक और मूल कंपनी को।

घ) प्रस्तुत किए गए पिछले वित्तीय विवरणों का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए।

ङ) पिछले वित्तीय विवरणों को पहले से ही पूरा और ऑडिटेड अवधि के अनुरूप होना चाहिए।

दिनांकः

सलाहकार/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर